संख्या-13/2018/आडिट-2-695/दस-2018-355(11)/2017

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 01 अक्टूबर, 2018

विषय :- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा संपरीक्षा कार्य हेतु शुल्क लिए जाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्थाओं/निकायों की संपरीक्षा का कार्य किया जाता है जिसके लिए कुछ को छोड़कर शेष संस्थाओं/निकायों से उनकी संपरीक्षा करने हेतु संपरीक्षा शुल्क लिए जाने की व्यवस्था विद्यमान है। शासन द्वारा संपरीक्षा शुल्क लिए जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में पुन: विचार किया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि इन विभागों द्वारा समस्त संस्थाओं/निकायों की संपरीक्षा नि:शुल्क की जाये।

2- उपर्युक्त निर्णय के क्रम में जिन अधिनियमों/नियमावलियों में संपरीक्षा शुल्क लिये जाने की व्यवस्था प्राविधानित है उनमें आवश्यक संशोधन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-13/2018/ आडिट-2-695(1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सम्बन्धित समस्त संस्थाएं/निकाय, उत्तर प्रदेश ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in